ट्रैपीजियम परियोजना को कब तक स्वीकृत देगी और इसे प्रारम्भ करेगी?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज़): (क) से (ग) उत्तर प्रदेश में 6 लाख अमेरिकी डालर की लागत से ताज ट्रैपीजियम के भीतर आगरा मथुरा फिरोजाबाद क्षेत्र के पर्यावरणीय सुधार और सतत् विकास के संबंध में एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए दी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट को यह कार्य सौंपा गया है। टाटा ऐनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के यह व्यवहार्यता रिपोर्ट अप्रैल, 1998 तक प्रस्तुत करनी है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने से संबंधिक कार्य प्रगति पर है।

मध्य प्रदेश में बेतवा का प्रदूषण

353. **श्री राघवजी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बेतवा नदी वर्ष 1997 के दौरान पुनः प्रदूषण हुई थी; यदि हां, तो कितनी बार और प्रदूषण के क्या कारण थे;

(ख) सरकार द्वारा विशेषज्ञ दल की ओर से विगत में प्रस्तुत दो प्रतिवेदनों के संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण है;

(ग) बेतवा नदी से प्रदूषण समाप्त करने के लिए, जो मंडीदीप, भोपाल, रायसीना और विदिशा में हो रहा है, राष्ट्रीय नदी कार्य योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर, 1997 तक कितनी धनराशि व्यय की गई है और यह धनराशि किन किन कार्यों पर व्यय की गई है; और

(घ) इस कार्या के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्री (प्रो. सैफूद्दीन सोज़): (क) मध्य प्रदेश में बेतवा नदी अक्टूबर, 1997 में एक अवसर पर पुनः प्रदूषित पाई गई थी। नदी में प्रदूषण की घटना रोम डिस्टिलरीज़ लि., सेहतगंज (रायसेन) से औद्योगिक बहिस्नाव के निस्तारण के कारण हुई थी।

(ख) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों के एक दल द्वारा किए गए निरीक्षण का प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट के बाद मंत्रालय एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लि. को कारण बताओं नोटिस जारी कर दिया गया था। उद्योग को वहिस्त्राव उपचार संयंत्र में आवश्यक क्षमता विस्तर के साथ प्रचालन सुनिशिचत करने का निर्देश दिया गया था। तथापि, उद्योग ने न्यायलय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है तथा केवल बहिः स्त्राव के भण्डारण के लिये लौगूनों का निर्माण करके प्रचालन जारी रखा हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गई दूसरी रिपोर्ट के आधार पर मैसर्स सोम डिस्टिलरीज लि. को अपने बहिस्त्राव उपचार संयंत्र का क्षमता विस्तार करने के लिए एक बार पुनः निर्देश दिया गया था। उद्योग ने इस निर्देश का अनुपालन किया है। तथापि बहिस्त्राव उपचार संयंत्र का प्रचालन अभी भी संतोषजनक नहीं है। उद्योग को दिनांक 10.10.97 को बन्द करने का आदेश दिया गया था जिसके खिलाफ उन्होंने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की है।

(ग) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अन्तर्गत विदिशा में प्रदूषण निवारण कार्यों पर 30 सितम्बर, 1997 तक 37 लाख रु. की धनराशि व्यय की जा चुकी है। मण्डीदीप एवं भोपाल की स्कीमों पर अब तक कोई व्यय किए जाने की सूचना नहीं है। कार्य की जिन मदों पर धनराशि व्यय की गई है उनका व्यौरा विवरण में दिया गया है (नीचे देखिए)। रायसेन को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया है।

(घ) मण्डीदीप, भोपाल और विदिशा में प्रदूषण निवारण कार्यों की अनुमोदित लागत 9.08 करोड़ रु. हैं। इन कार्यों के वर्ष 2001 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है।

विवरण

विदिशा में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के कार्य की मदें जिन पर व्यय किया गया है

(लाख रुपये)

क्रम सं.	मदें	धनराशि
1.	अल्प लागत स्वच्छता	28.0
2.	ठोस अपशो प्रबंध	8.0
3.	शवदाहगृह	1.0
	योग:	37.00